न्यायालय : सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, माण्डल, भीलवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अंजना अग्रवाल, RJS
फौजदारी प्रकरण संख्या – 261/2025
सी.आई.एस. नंबर – 2396/2025
एफ.आई.आर. संख्या – 39/2024 पी.एस. बागोर
CNR No. – RJBW170029862025
राज्य

–– अभियोगी

– विरूद्ध –

शिवलाल पिता हीरालाल खारोल उम्र 21 वर्ष निवासी खारोलिया खेड़ा (शंकरपुरा)थाना बागोर जिला भीलवाड़ा (राज०)।

–––मुलजिम

अपराध अन्तर्गत धारा 498ए, 406, 494 भा.दं.सं.

उपस्थितः–

1. सहायक अभियोजन अधिकारी, राज्य सरकार की ओर से अनुपस्थित।
2. श्री रतनलाल जाट, अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से।

– निर्णय – **दिनांक– 07–03–2026**

घटना की दिनांक	विवाह होने के पश्चात
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	01–03–2024
आरोप पत्र पेश किए जाने की दिनांक	19–11–2025
आरोप सारांश सुनाए जाने की दिनांक	19–11–2025
साक्ष्य प्रारंभ किए जाने की दिनांक	19–11–2025
निर्णय सुरक्षित रखे जाने की दिनांक	07.03.2026
निर्णय सुनाए जाने की दिनांक	07.03.2026
सजा आदेश यदि हो तो	दोषमुक्त

1– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीया पूजा ने एक टाईपशुदा इस आशय की पेश किया कि उसका विवाह हिन्दू विधि के अनुसार अग्नि के समक्ष सप्तपदी से शिवलाल के साथ सम्पन्न हुआ। विवाह उपरान्त वह अपने ससुराल आने जाने लगी व शिवलाल खारोल के साथ बतौर पत्नी के रहकर दाम्पत्य जीवन एवं कर्तव्यों का निर्वहन किया। कुछ दिन तक तो उसके पति शिव लाल खारोल, ससुर हीरा लाल, श्रीमती मांगी, जेठ बालू, काकीया ससुर रामचन्द्र का व्यवहार उसके प्रति ठीक ठीक रहा लेकिन कुछ समय बाद ही उक्त मुलजिमान का व्यवहार उसके प्रति कुरतापूर्ण हो गया व आये दिन उसको दहेज के खातिर मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताडित करने लग गये व आये दिन उसे परेशान करने लग गये व आये दिन कहते कि उसके पीहर वालों ने दहेज कम दिया है वह भुखे नंगे खानदान से आ गयी है इसलिए वह अपने माता पिता से 3 लाख रूपये लेकर आ वरना

वे उसे नहीं रखेंगे । इस पर वह विरोध करती तो उसके साथ मारपीट करते व खाने पहनने को भी पूरा नही देते व उसका पति उसके साथ अमानवीय व्यवहार करता व उसका पति कहता कि वह उसे पसन्द नहीं है, वह दूसरी पत्नी लेकर आयेगा व उसकी सास, जेठ, ससुर सभी मिलकर मारपीट करते व खाने पहनने को भी पूरा नहीं देते। उसके कमरे में भूखा प्यासा बंद रखते व उसके बीमार होने पर उसका ईलाज आदि भी नहीं करवाते व उसे घर से बाहर निकालकर उसके पति की दूसरी शादी कराने की धमकियां देने लग गये। उसका काकीया ससुर जो कि पुलिस में है जो डराता धमकाता कि वह उनकी मांग को पूरा नहीं करेगी तो वह उनका कुछ नहीं बिगाड पायेगी। वह अपने परिवार की मान मर्यादा को देखते हुए बार बार यह सोचती रही कि कभी न कभी इनके व्यवहार में सुधार आ जायेगा लेकिन अभियुक्तगण का व्यवहार उसके प्रति दिनों दिन क्रूरतापूर्ण होता गया। लेकिन अन्त में उक्त अभियुक्तगण द्वारा उससे दहेज में 3 लाख रुपये की मांगकर मारपीट कर उसके समस्त स्त्रीधन के सामान चरू चरी बेवडा पीतल का, चरू चरी बेवडा स्टील का, थालीयां, कटोरिया, डेगची, परात, जग, लोटे धामे, भगोनी, बेलन छकलोटा, पलग, बिस्तर, अलमारी व सभी घरेलू बर्तन बासण व जर जेवरात करंगती चादी की वजनी आधा किलो, पायजेम चांदी के झुमकियां सोने की आदि को अपने कब्जे में लेकर मात्र पहने हुए कपड़ों में घर से बाहर निकाल दिया, इसके पश्चात वह अपने पीहर चाखेड़ आयी व रह रही है। उसके माता पिता व परिवारजन ने उक्त अभियुक्तगण को काफी समझाया लेकिन अभियुक्तगण लगातार दहेज की मांग पर अड़े रहे। उसको घर से बाहर निकालने के पश्चात उक्त अभियुक्तगण एवं पुष्पा ने आपस में मिलीभगती कर यह जानते हुए कि वह शिव लाल खारोल की पत्नी है, जीवित है इसके बावजूद भी उसके जीते जी उसके पति शिव लाल खारोल ने पुष्पा के साथ दूसरी शादी कर ली व शिव लाल ने पुष्पा को अपने पास बतौर पत्नी के रख रखा है व जारता का जीवन जी रहा है व अन्य अभियुक्तगण शामिल शरीक रहे है व पूरा सहयोग प्रदान किया है। कल शाम को उक्त अभियुक्तगण उसके निवास चांखेड पर आये व उससे 3 लाख रूपये की दहेज में माग की, इस पर उसने मना किया तो उसके साथ मारपीट की, उसके माता पिता व परिवारजन द्वारा बीच बचाव किया तो मुलजिमान ने उनके साथ भी गाली गलौच की, मौके पर अन्य लोगो ने बीच बचाव किया, लेकिन मुलजिमान ने धमकी दी कि उनकी दहेज की मांग को पुरा कर देना वरना अंजाम बूरा होगा व उसके द्वारा उसका स्त्रीधन का सामान, जर जेवरात लौटाने हेतु कहने पर साफ तौर इंकार हो गये व खुर्द बुर्द करने की धमकी दी.....आदि। जिस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 39/2024 अपराध अन्तर्गत धारा 498ए, 406, 494 भा.दं.सं. में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्त शिवलाल के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 498ए, 406, 494 भा.दं.सं. के आरोप में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा दिनांक 19.11.2025 को धारा 498ए, 406, 494 भा.दं.सं. में प्रसंज्ञान लिया जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया।

2– अभियुक्त शिवलाल को अपराध अन्तर्गत धारा 498ए, 406, 494 भा.दं.सं. का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त ने आरोप से इंकार कर, अन्वीक्षा चाही।

3– तत्पश्चात् दौराने विचारण प्रकरण में परिवादिया पूजा ने अभियुक्त शिवलाल के साथ धारा 406, , 494 भा.दं.सं. में राजीनामा प्रस्तुत किया जो पृथक से तस्दीक किया जाकर अभियुक्त को धारा 406, 494 भा.दं.सं. में जरिये राजीनामा दोषमुक्त घोषित किया गया। अब अभियुक्त पर धारा 498ए भा.दं.सं. का आरोप शेष है जिसका निर्णय किया जा रहा है।

अभियोजन गवाह

क्रम सं.	नाम	साक्ष्य प्रकृति
पी.डब्ल्यू. 01	पूजा	परिवादिया

पी.डब्ल्यू. 02	दयाराम	परिवादिया के पिता
पी.डब्ल्यू. 03	गोवर्धन	पुलिस बयान व घटना की ताईद
पी.डब्ल्यू. 04	भैरूलाल	पुलिस बयान व घटना की ताईद
पी.डब्ल्यू. 05	सुखदेव	पुलिस बयान व घटना की ताईद
पी.डब्ल्यू. 06	अंबालाल	पुलिस बयान व घटना की ताईद
पी.डब्ल्यू. 07	पोखर	फर्द पेशकशी दहेज के सामान की ताईद
पी.डब्ल्यू. 08	नगजीराम	पुलिस बयान व घटना की ताईद
पी.डब्ल्यू. 09	काना	फर्द पेशकशी दहेज के सामान की ताईद

अभियोजन दस्तावेज सूची

क्र. सं.	प्रदर्श	विवरण
01	प्रदर्श पी 01	तहरीरी रिपोर्ट
02	प्रदर्श पी 02	चाक एफआईआर
03	प्रदर्श पी 03	फोटोग्राफ्स, शादी के कार्ड पेश करने हेतु दिया गया नोटिस
04	प्रदर्श पी 04	फर्द सुपुर्दगी दहेज सामान
05	प्रदर्श पी 05	फर्द पेशकशी दहेज सामान

अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से प्रदर्शित दस्तावेज

क्रम सं.	प्रदर्श	विवरण
01	प्रदर्श डी 01	नगजीराम के पुलिस बयान

4– अभियुक्त का परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. में किया गया तथा उसने अभियोजन साक्ष्य एवं दस्तावेजात को गलत होना बताया तथा स्वयं को निर्दोष होकर झूठा फंसाये जाने एवं राजीनामा हो जाने के कथन किए हैं। अभियुक्त द्वारा साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा जिस पर साक्ष्य सफाई बंद की गई।

5– अभियुक्त अपीलीय न्यायालय में हाजरी बाबत् धारा 437–ए दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत छः माह की अवधि हेतु 10 हजार रूपये का स्वयं का मुचलका एवं जमानत पेश कर तस्दीक करवाये गये।

6– बहस अंतिम सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अब न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि–

1– **क्या अभियुक्त शिवलाल ने परिवादिया पूजा से विवाह के उपरांत पति होकर परिवादिया के साथ समय–समय पर तीन लाख रूपयों की अवैध मांग कर मांग पूर्ति हेतु उसके साथ मारपीट कर उसे घर से बाहर निकालकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित कर क्रूरता की?**

2– **यदि हां, तो अभियुक्त किस दण्ड से दण्डनीय होगा?**

7– उपरोक्त विचारणीय प्रश्न के निस्तारण हेतु बहस सुनी जाकर साक्ष्य की समीक्षा किया जाना आवश्यक है।

8– सहायक अभियोजन अधिकारी के अनुपस्थित होने पर अधिवक्ता अभियुक्त को सुनकर गुणावगुण पर निस्तारण किया जा रहा है।

9– दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त ने अभियुक्त को झूंठा फंसाये जाने का कथन किया एवं बताया कि परिवादिया पूजा ने स्पष्ट रूप से अभियुक्त के द्वारा उससे मारपीट नहीं करने एवं दहेज की मांग नहीं करने का कथन किया है। गवाह पूजा ने तो स्वयं के द्वारा आवेश में आकर मुकदमा दर्ज करवा देना बताया है। गवाह दयाराम, गोवर्धन, भैरूलाल, सुखदेव, अंबालाल, पोखर, नगजीराम व काना ने शिवलाल के द्वारा पूजा से दहेज की मांग नहीं करने एवं दहेज की मांग नहीं करने का कथन किया है। वर्तमान में पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है। अभियोजन पक्ष के गवाहों ने न्यायालय के समक्ष विरोधाभासी कथन किए हैं। अभियोजन पक्ष अभियोजन साक्ष्य के माध्यम से अभियुक्त पर आरोपित अपराध साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया।

10– गवाह पी.डब्ल्यू–01 पूजा ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किये है कि उसकी शादी 14 वर्ष पहले शिवलाल से हुई थी। उसका, शिवलाल से घरेलु बातों को लेकर मनमुटाव हो गया था, जिस पर उसने आवेश में आकर मुकदमा दर्ज करवा दिया था। शिवलाल ने उससे कोई मारपीट व दहेज की मांग नहीं की। शिवलाल ने दुसरी शादी भी नहीं की है। उसने जो रिपोर्ट दर्ज करवाई थी वह प्रदर्श पी 01 है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 02 है। थाना बागौर से उसे फोटोग्राफस, शादी के कार्ड पेश करने हेतु नोटिस दिया था जो प्रदर्श पी 03 है। फर्द सुपुर्दगी दहेज सामान प्रदर्श पी 04 है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि मुलजिम शिवलाल से उसका राजीनामा हो गया है। वह शिवलाल के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही चाहती है। यह सही है कि शिवलाल ने उसके साथ मारपीट व दहेज की मांग नही की। उसने आवेश में आकर मुकदमा दर्ज करवा दिया था। शिवलाल ने दुसरा विवाह भी नहीं किया है।

11– गवाह पी.डब्ल्यू–02 दयाराम ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि उसकी बेटी पूजा की शादी 14 वर्ष पहले शिवलाल से हुई थी। उसकी बेटी पूजा का शिवलाल से घरेलु बातो को लेकर मनमुटाव हो गया था, जिस पर उसकी बेटी पूजा ने आवेश में आकर मुकदमा दर्ज करवा दिया था। शिवलाल ने उसकी बेटी से कोई मारपीट व दहेज की मांग नही की। शिवलाल ने दूसरी शादी भी नही की है। प्रदर्श पी 04 फर्द सुपुर्दगी दहेज सामान है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि मुलजिम शिवलाल से उनका राजीनामा हो गया है। वे शिवलाल के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। यह सही है कि शिवलाल ने उसकी बेटी पूजा के साथ मारपीट व दहेज की मांग नही की। पूजा ने आवेश में आकर मुकदमा दर्ज करवा दिया था। शिवलाल ने दूसरा विवाह भी नहीं किया है।

12– गवाह पी.डब्ल्यू–03 गोवर्धन ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह शिवलाल का काका लगता है। शिवलाल की शादी लगभग 14 वर्ष पहले पूजा से हुई थी। शिवलाल पूजा को अच्छी तरह से रखता था। शिवलाल ने पूजा से कोई दहेज की मांग व मारपीट नहीं की। शिवलाल ने दूसरी शादी भी नहीं की है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि शिवलाल ने पूजा के साथ कभी कोई दहेज की मांग व मारपीट नहीं की। शिवलाल तो पूजा को अच्छी तरह रखता था। शिवलाल ने दूसरी शादी भी नही की।

13– गवाह पी.डब्ल्यू–04 भैरूलाल ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि

वह शिवलाल का काका लगता है। शिवलाल उसका भतीजा है। शिवलाल की शादी लगभग 14 वर्ष पहले पूजा से हुई थी। शिवलाल पूजा को अच्छी तरह से रखता था। शिवलाल ने पूजा से कोई दहेज की मांग व मारपीट नही की। शिवलाल ने दूसरी शादी भी नही की है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि शिवलाल ने पूजा के साथ कभी कोई दहेज की मांग व मारपीट नही की। शिवलाल तो पूजा को अच्छी तरह रखता था। शिवलाल ने दूसरी शादी भी नहीं की।

14– गवाह पी.डब्ल्यू–05 सुखदेव ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि पूजा उसके भाई की लड़की है। पूजा की शादी लगभग 15 वर्ष पहले शिवलाल से हुई थी। पूजा का शिवलाल से घरेलु बातो को लेकर मनमुटाव हो गया था, जिस पर पूजा ने आवेश में आकर मुकदमा दर्ज करवा दिया था। शिवलाल ने पूजा से कोई मारपीट व दहेज की मांग नही की। शिवलाल ने दूसरी शादी भी नही की है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि मुलजिम शिवलाल का पूजा से राजीनामा हो गया है। यह सही है कि शिवलाल ने पूजा के साथ मारपीट व दहेज की मांग नही की। पूजा ने आवेश में आकर मुकदमा दर्ज करवा दिया था। शिवलाल ने दूसरा विवाह भी नही किया है।

15– गवाह पी.डब्ल्यू–06 अंबालाल ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि पूजा उसके भतीजे की लड़की है। पूजा की शादी लगभग 12 वर्ष पहले शिवलाल से हुई थी। पूजा का शिवलाल से घरेलु बातो को लेकर मनमुटाव हो गया था, जिस पर पूजा ने आवेश में आकर मुकदमा दर्ज करवा दिया था। शिवलाल ने पूजा से कोई मारपीट व दहेज की मांग नही की। शिवलाल ने दूसरी शादी भी नहीं की है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि मुलजिम शिवलाल का पूजा से राजीनामा हो गया है। यह सही है कि शिवलाल ने पूजा के साथ मारपीट व दहेज की मांग नही की। पूजा ने आवेश में आकर मुकदमा दर्ज करवा दिया था। शिवलाल ने दूसरा विवाह भी नही किया है

16– गवाह पी.डब्ल्यू–07 पोखर ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि शिवलाल उसके भतीजा लगता है। शिवलाल पूजा को अच्छी तरह रखता था। शिवलाल ने पूजा के साथ कोई मारपीट नहीं की और ना ही कोई दहेज की मांग की। पूजा ने घरेलू बातों को लेकर मनमुटाव होने से मुकदमा दर्ज करवाया था। प्रदर्श पी–5 फर्द पेशकशी दहेज सामान है दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि पुलिस में उसके कोई बयान नहीं हुए थे। यह कहना सही है कि शिवलाल ने पूजा से दहेज की मांग और मारपीट नही की। यह कहना सही है कि पूजा व शिवलाल में राजीनामा हो गया है। यह कहना सही है कि शिवलाल ने दूसरी शादी नहीं की।

17– गवाह पी.डब्ल्यू–08 नगजीराम ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि शिवलाल उसका साला लगता है। शिवलाल पूजा को अच्छी तरह रखता था। शिवलाल ने पूजा के साथ कोई मारपीट नहीं की और ना ही कोई दहेज की मांग की। पूजा ने घरेलू बातों को लेकर मनमुटाव होने से मुकदमा दर्ज करवाया था। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि पुलिस में उसके बयान हुये थे। पुलिस बयान प्र डी–1 का ए से बी भाग उसने पुलिस को नहीं लिखाया। यह कहना सही है कि शिवलाल ने पूजा से दहेज की मांग और मारपीट नही की। यह कहना सही है कि पूजा व शिवलाल में राजीनामा हो गया है। यह कहना सही है कि शिवलाल ने दूसरी शादी नहीं की।

18– गवाह पी.डब्ल्यू–09 काना ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि शिवलाल उसका भाई लगता है। शिवलाल पूजा को अच्छी तरह रखता था। शिवलाल ने पूजा के

साथ कोई मारपीट नहीं की और ना ही कोई दहेज की मांग की। पूजा ने घरेलू बातों को लेकर मनमुटाव होने से मुकदमा दर्ज करवाया था। प्रदर्श पी-5 फर्द पेशकशी दहेज सामान है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि पुलिस में उसके कोई बयान नहीं हुए थे। यह कहना सही है कि शिवलाल ने पूजा से दहेज की मांग और मारपीट नही की। यह कहना सही है कि पूजा व शिवलाल में राजीनामा हो गया है। यह कहना सही है कि शिवलाल ने दूसरी शादी नहीं की।

19- इस प्रकार प्रकरण की सर्वोत्तम साक्षी स्वयं परिवादिया पूजा प्रकरण में बतौर गवाह पी.डब्ल्यु 01 परीक्षित हुई है जिसने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में उसका विवाह 14 वर्ष पहले शिवलाल के साथ होने, उसका शिवलाल से घरेलू बातों को लेकर मनमुटाव होने, उसके द्वारा आवेश में आकर मुकदमा दर्ज करा देने, उसके साथ शिवलाल द्वारा मारपीट व दहेज की मांग नहीं करने तथा शिवलाल द्वारा दूसरी शादी नहीं करने का कथन किया है दौराने जिरह गवाह ने कथन किया है कि मुलजिम शिवलाल से उसका राजीनामा हो गया है वह उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहती है। यह कहना सही है कि शिवलाल ने उसके साथ न तो मारपीट की और ना ही दहेज की मांग की उसने आवेश में आकर शिवलाल के खिलाफ रिपोर्ट दी थी। शिवलाल ने दूसरा विवाह भी नहीं किया है। इस प्रकार गवाह पीडब्ल्यू 01 पूजा ने शिवलाल के द्वारा दूसरी शादी नहीं करने एवं पूजा के साथ मारपीट व दहेज की मांग नहीं करने का कथन किया है। गवाह पीडब्लयू 02 दयाराम जो कि परिवादिया के पिता है, ने भी शिवलाल के द्वारा उसकी बेटी पूजा से दहेज की मांग व मारपीट नहीं करने का कथन किया है। गवाह पीडब्लयू 05 सुखदेव व पीडब्लयू 06 अंबालाल ने भी शिवलाल के द्वारा पूजा से दहेज की मांग व मारपीट नहीं करने का कथन किया है। गवाह पीडब्ल्यू 03 गोवर्धन,पीडब्ल्यू 04 भैरूलाल, पीडब्ल्यू 07 पोखर, पीडब्ल्यू 08 नगजीराम व पीडब्ल्यू 9 काना ने शिवलाल के द्वारा पूजा को अच्छी तरह रखने एवं शिवलाल के द्वारा पूजा से दहेज की मांग व मारपीट नहीं करने का कथन किया है। ऐसे में गवाह पीडब्ल्यू 01 पूजा ने स्वयं ही अभियुक्त शिवलाल के द्वारा उससे दहेज की मांग व मारपीट नहीं करने का कथन किया है। गवाह पीडब्ल्यू 02 दयाराम, 03 गोवर्धन, पीडब्ल्यू 04 भैरूलाल, पीडब्ल्यू 05 सुखदेव, पीडब्ल्यू 06 अंबालाल, पीडब्ल्यू 07 पोखर, पीडब्ल्यू 08 नगजीराम व पीडब्ल्यू 9 काना ने भी शिवलाल के द्वारा पूजा से दहेज की मांग व मारपीट नहीं करने का कथन किया है। अभियोजन पक्ष के गवाहान ने अभियुक्त द्वारा परिवादिया पूजा को दहेज की मांग को लेकर तंग परेशान करने बाबत् लैश मात्र भी साक्ष्य नहीं दी है। उपरोक्त विवेचनानुसार अभियुक्त शिवलाल के विरूद्ध धारा 498ए भा.दं.सं. का अपराध बनना नहीं पाया जाता है।

20- इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष के गवाह अभियोजन तथ्यों की ताईद नहीं कर विरोधाभासी कथन करते है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त पर आरोपित अपराध साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त शिवलाल ने परिवादिया पूजा से विवाह के उपरांत पति होकर परिवादिया के साथ समय-समय पर तीन लाख रूपयों की अवैध मांग कर मांग पूर्ति हेतु उसके साथ मारपीट कर उसे घर से बाहर निकालकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित कर क्रूरता की।

21- अतः अभियुक्त शिवलाल पिता हीरालाल खारोल उम्र 21 वर्ष निवासी खारोलिया खेड़ा (शंकरपुरा)थाना बागोर जिला भीलवाड़ा (राज०) को धारा 498ए भा.द.स. में अपराध में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

:: आदेश ::

22- अतः अभियुक्त शिवलाल पिता हीरालाल खारोल उम्र 21 वर्ष निवासी खारोलिया खेड़ा (शंकरपुरा)थाना बागोर जिला भीलवाड़ा (राज०) को अपराध अंतर्गत धारा 498ए भा.दं.सं. के

अपराध के आरोप में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त शिवलाल को धारा 406, 494 भा.दं.सं. में जरिये राजीनामा पूर्व में दोषमुक्त किया जा चुका है।

23– अभियुक्त द्वारा पूर्व में न्यायालय में उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(अंजना अग्रवाल)
सिविल न्यायाधीश एवं
न्यायिक मजिस्ट्रेट
माण्डल, भीलवाड़ा (राज.)

24– निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 07–03–2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंजना अग्रवाल)
सिविल न्यायाधीश एवं
न्यायिक मजिस्ट्रेट
माण्डल, भीलवाड़ा (राज.)